उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 02.01.2019 के अन्तर्गत गठित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की दिनांक 15.01.2019 को आयोजित प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन की नीति का प्रख्यापन किया गया है। जिसके प्रस्तर–7.8 (संलग्नक–1) के बिन्दु–5 के अनुसार प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा यह भी उल्लिखित है कि उक्त समिति द्वारा प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार करेगी। तत्क्रम में प्रथम बैठक दिनांक 15.01.2019 को आयोजित की गयी।

बैठक में उपस्थिति अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2. उक्त बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों का प्रस्तुतीकरण पशुपालन विभाग द्वारा किया गया, जिसके प्रत्येक प्रस्तर पर समिति द्वारा सामूहिक विमर्श करते हुए इस ज्वलंत समस्या के निदान हेतु विचार किया गया।

निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु दिये जाने वाले परामर्शी मार्गनिर्देशों पर बिन्दुवार चर्चा हुयी। मुख्य सचिव महोदय एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर मतैक्य स्थिर होने के उपरान्त सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय निम्नवत् लिये गयेः–

1– निराश्रित/बेसहारा गोवंश का तात्पर्य

इस बिन्दु पर यह सहमति हुई कि दिये गये विवरण से पूर्व इंगित किया जाये कि ऐसे गोवंश जिसका कोई स्वामी/मालिक न हो एवं खेतों तथा सड़कों पर घूमते पाये जा रहे हों, माना जाये। यह भी निर्णीत हुआ कि ऐसे पशुओं को Illustrative/ उदाहरणस्वरूप स्थिति भी इंगित की जाये।

2– अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना विषयक गतिविधियाँ

2.1 पशुओं का चिन्हांकन– सभी निराश्रित/बेसहारा गोवंश का ग्राम स्तर पर चिन्हीकरण किया जाये। इसके लिए पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध टैग से सभी गोवंश का टैगिंग कराया जाये। चूँकि वर्तमान में उपलब्ध टैग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना हेतु उपलब्ध है। अतः इसे रिप्लेस एवं भविष्य में निराश्रित/बेसहारा पशुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पशुपालन विभाग को, राज्य सरकार के बजट से टैग एवं

उसको लगाने हेतु मानव संसाधन का वित्त पोषण भी किया जाये। इस हेतु पशुपालन विभाग योजना बनाते हुए राज्य बजट के माध्यम से धनराशि की मॉग करेगा। यह भी निर्णीत हुआ कि टैगिंग कोड तथा पंजीकरण में यथासंभव जनपद/तहसील/विकास खण्ड/न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत व पशु विवरण की व्यवस्था की जाये।

(कार्यवाही–पशुपालन विभाग)

2.2–अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की भूमि का चिन्हांकन व हस्तांन्तरण–

निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल हेतु अन्य विभागों की भूमि का हस्तांतरण की प्रकिया जटिल व लम्बी हो सकती है, इसलिए भूमि का चिन्हांकन कर तत्काल इस भूमि का उपयोग अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु आरम्भ किया जाये।

2.2.1 निराश्रित/बेसहारा गोवंश के अस्थायी आश्रय हेतु राजस्व विभाग की चारागाह की गोचर भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

यह भूमि राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के दृष्टिगत चारागाह की भूमि धारा–77(1)क के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की सुरक्षित श्रेणी में आती है, जिस पर न तो किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं और न ही ऐसी भूमि को ग्राम सभा द्वारा एमओयू के आधार पर किसी अन्य गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) आदि को प्रबंधन हेतु दिया जाना नियमानुकूल होगा।

ऐसी भूमि पर ग्राम सभा द्वारा चारा प्रदान करने वाली वृक्ष प्रजातियों को रोपण किया जाता है अथवा पशुओं के पीने के लिए नलकूल व चरही आदि का निर्माण किया जा सकता है।

किसी एनजीओ अथवा कारपोरेट घराने द्वारा सीएसआर के अंतर्गत ग्राम सभा को कोई सहयोग प्रदान किया जाता है अथवा ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद अपने व्यय पर नलकूप/चरही आदि की स्थापना की जा सकती है।

इस भूमि के क्षेत्रफल के अधिकतम 10 प्रतिशत भाग पर ही अस्थायी अवस्थापना सृजन किया जा सकता है। शेष 90 प्रतिशत भाग खुला रहेगा जिसका उपयोग निराश्रित पशुओं के अतिरिक्त अन्य दुधारू पशुओं के विचरण हेतु पूर्व की भॉति यथावत किया जायेगा।

2.2.2 अन्य विभागों की यदि भूमि उपलब्ध हो तो संबंधित जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त कर निराश्रित पशुओं के रखने हेतु उक्त भूमि का उपयोग प्रारम्भ कर सकते हैं।

2.2.3 यदि कोई स्वयंसेवी संस्था पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु लीज पर भूमि की मांग करें तो सरकारी भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी किन्तु संस्था द्वारा आश्रय स्थल के पशुओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

2.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु चिन्हांकित स्थानों को उपयोग योग्य बनाना

प्रस्तुतीकरण अनुसार सहमति।

2.4 **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर पेयजल की व्यवस्था**

2.5 **अस्थयी गोवंश आश्रय स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था**

उपयोग हेतु चिन्हांकित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर पेयजल एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा। पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्थापित कर एवं/अथवा, सौर ऊर्जा आधारित पेयजल अवस्थापना का सृजन किया जा सकता है। प्रकाश हेतु भी सौर ऊर्जा अथवा/एवं यथास्थिति नियमित विद्युत संयोजन के आधार पर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है।

2.6 **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर चारे की व्यवस्था**

प्रस्तुतीकरण के अनुसार सहमति।

2.7 **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था**

2.7.1 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस चौकी, पुलिस थाना को उत्तरदायी बनाया जाये। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध ग्राम स्तरीय स्थायी चौकीदार को अतिरिक्त धनराशि पर भी कार्य देने पर विचार जिला स्तर पर समिति द्वारा किया जा सकता है।

2.7.2 गोवंश को खिलाना, गोबर एकत्र करना, दूध निकालना, साफ सफाई व्यवस्था आदि कार्यों हेतु श्रमिकों की यथावश्यकता केवल संदर्भित ग्राम/निकाय के स्थानीय निवासी को अंशकालिक श्रमिक के रूप में तैनाती जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इसमें ग्राम स्तर पर अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन में सम्मिलित अंशकालिक रूप से कार्यरत कार्मिक (यथा–रसोइया आदि) का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन को प्रतिमाह न्यूनतम दो हजार रूपये पारिश्रमिक के आधार पर तैनात करने हेतु जिला स्तर पर समिति निर्णय कर सकती है।

(कार्यवाही–समस्त जिलाधिकारी)

2.8 **अस्थयी गोवंश आश्रय स्थल पर पशु चिकित्सा व्यवस्था**

प्रस्तुतीकरण पर सहमति के साथ ही साथ समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि बड़े नर गोवंश को बन्ध्याकरण करते समय मानव सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रंक्यूलाइजर गन (tranquilaizer gun) की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा किये जाने हेतु व्यवस्था की जाये। अंतरिम रूप से बड़े नर गोवंशों को नियंत्रित करते हेतु मण्डल/जिले स्तर पर वन विभाग के पास उपलब्ध संसाधान (ट्रंकोलाइजर गन के प्रयोग हेतु) एवं स्थानीय निवासियों/ग्रामवासियों/सामाजिक संगठन आदि का सहयोग भी लिया जाये।

(कार्यवाही–वन विभाग/पशुपालन विभाग)

3. **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की संचालन व्यवस्था**

3.1 पशुओं का विवरण, 3.2 चारा व पानी, 3.3 आवास और पर्यावरण, 3.4 फर्श, 3.5 स्वास्थ्य परीक्षण व चिकित्सा, 3.6 बछड़े/बछिया पर प्रस्तुतीकरण क अनुसार सहमति।

3.7 **पशु की मृत्यु**

गोवंश की मृत्यु की दशा में वर्तमान में विद्यमान उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अनुसार व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में की जाये व ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के अनुसार व्यवस्था की जाये। नगरीय क्षेत्रों में/ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के शव परिवहन व निस्तारण हेतु व्यवस्था करना, इन्सीनिरेटर आदि स्थापित करने विषयक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (solid waste management) म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट–2016 के अंतर्गत पंचायतीराज विभाग व नगर विकास विभाग योजना बनाते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन 02 सप्ताह में प्राप्त करेंगे।

कार्यवाही–नगर विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग

3.8 **श्रमिकों की व्यवस्था**

प्रस्तर–2.7 के अनुसार।

4. **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों को आर्थिक/वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना**

प्रस्तुतीकरण के अनुसार सहमति के साथ–साथ यह भी अपेक्षा की गयी कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति परामर्शी मार्गनिर्देश में दर्शाये गये बिन्दुओं का अध्ययन कर यथावश्यकता/उपयुक्तता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

कार्यवाही–समस्त जिलाधिकारी

5. **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्द किया जाना**

प्रस्तावित परामर्शी मार्गनिर्देशों के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश को अपनाये/पालने एवं उनके भरण–पोषण के लिए स्थानीय जनमानस को प्रेरित किया जाये।

6. **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं के भरण–पोषण हेतु वित्त पोषण**

6.1 प्रस्तुतीकरण के अनुसार सहमति।

6.2 (i) पशुओं के भरण–पोषण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि में उपलब्ध धनराशि से भरण–पोषण अनुदान करने हेतु विषयक निर्णय यथावश्यक अधिनियम, नियम, उपविधि शासनादेश आदि में संशोधन पंचायतीराज विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए 02 सप्ताह में किया जायेगा। इसी प्रकार का संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नगर विकास विभाग द्वारा भी 02 सप्ताह में सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों को संचालित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी की सहायता प्राप्त करने की दशा में उन्हें भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं किया जायेगा। मात्र usufruct rights के अंतर्गत संचालन में सहयोग लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप संलग्नक एम.ओ.यू. को आधार मानते हुए स्थानीय स्तर पर यथावश्यक संशोधन करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में थर्ड पार्टी द्वारा न तो भूमि पर कब्जा किया जायेगा और न ही भूमि के सत्व (title) विषयक कोई लाभ प्राप्त किया जायेगा।

(कार्यवाही–नगर विकास/पंचायतीराज विभाग)

6.3 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के स्तर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कार्पस फण्ड का सृजन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त किया जाये।

6.4 उक्त कार्पस फण्ड का निस्तारण/संचालन/कियान्वयन जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.5 कार्पस फण्ड में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन/भरण–पोषण/शव निस्तारण/शव के परिवहन/श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान आदि में किया जायेगा।

6.6 पशुओं के भरण–पोषण के लिये शासनादेश दिनांक 02.01.2019 के प्रस्तर–3.7 में इंगित शासनादेश दिनांक–15.12.2017 के अनुसार निर्धारित प्रतिदिन प्रति पशु रू0–30.00 की दर से गोवंश के भरण–पोषण की दर सुनिश्चित की जायेगी।

6.7 कार्पस फण्ड में जिलाधिकारी अन्य स्रोतों से भी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

6.8 कार्पस फण्ड में उपलब्ध धनराशि में से इंगित सीमा की न्यूनतम धनराशि आरक्षित रहेगी। प्रारम्भ में यह न्यूनतम धनराशि की सीमा रू0 50.00 लाख होगी। भविष्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुरूप उसमें वृद्धि भी की जा सकती है।

6.9 कार्पस फण्ड विषयक नियमावली का सृजन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

6.10 कार्पस फण्ड के औपचारिक सृजन तक सम्प्रति विद्यमान आपात स्थिति के दृष्टिगत अंतरिम रूप में मण्डी परिषद की आय में से धनराशि सीधे जिलाधिकारी को अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के संचालन/प्रबंधन हेतु उपलब्ध करायी जाये। नियमावली निर्गत होने तक उक्त व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

6.11 तत्काल प्रभाव से मण्डी परिषद की आय/सेस से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को प्रति जनपद रू0–1.50 करोड़ की दर से कुल रू0–10.50 करोड़ एवं प्रदेश के अन्य 68 जनपदों को प्रति जनपद रू0–1.00 करोड़ की दर से कुल रू0–68.00 करोड़ इस प्रकार कुल रू0–78.50 करोड़ की धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डी परिषद की अधिनियम, 1964 की धारा 26-PPP(2)(d) के अंतर्गत निर्देश जारी किये जायें।

6.12 जिलाधिकारियों को मण्डी परिषद से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि सीधे जिलाधिकारी के खाते में हस्तांतरित हो सकती है। जिलाधिकारी इस धनराशि का लेखा–जोखा पृथक से रखेंगे।

(कार्यवाही–समस्त जिलाधिकारी/मण्डी/परिषद/पंचायतीराज विभाग/नगर विकास विभाग/पशुपालन विभाग)

7– कृषक/पशुपालक द्वारा स्वामित्व के पशुओं को निराश्रित/बेसहारा के रूप में छोड़ने पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही

प्रचलित व्यवस्था के साथ पशु के पूर्व स्वामियों द्वारा पशुओं को निराश्रित/बेसहारा छोड़ने पर पुलिस एक्ट में जो प्राविधान हैं, उसके अनुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/समस्त जिलाधिकारी)

8. पंचायतीराज विभाग द्वारा 02.08.2018 को निर्गत शासनादेश में छोड़े गये पशुओं के पूर्व स्वामियों पर जुर्माने/आर्थिक दण्ड की व्यवस्था है। नगर विकास विभाग भी इसी प्रकार अपने नियम, अधिनियम, का परीक्षण करते हुए आर्थिक दण्ड विषयक व्यवस्था की जायेगी साथ ही मॉडल बाइलॉज (आदर्श उपविधि) भी बनायी जायेगी, जिससे नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक डेरी संचालन कार्यकर्ताओं को प्रभावी रूप से विनियमित किया जायेगा।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

9. शासनादेश दिनांक 02.01.2019, जो उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति के प्रख्यापन विषयक है, के प्रस्तर–6.2 में व्यवस्था है कि 'आबकारी विभाग द्वारा वार्षिक राजस्व की अतिरिक्त

आय सेस लगाकर प्राप्त की जायेगी। इस सेस से प्राप्त धनराशि को अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, व्यवस्था, संचालन एवं प्रबंधन हेतु चिन्हांकित मदों में व्यय की जायेगी।"

9.1 इस विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/प्रस्ताव पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रू0 1057.77 करोड़ की धनराशि सम्भावित व्यय हेतु चिन्हांकित की गयी थी। इस धनराशि के 80 प्रतिशत की समतुल्य धनराशि का आबकारी विभाग द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित था। तत्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष दिनांक 79 (दिनांक 10.01.2019 से 31.03.2019 तक) तथा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21–22 तक प्रत्येक वर्ष 365 दिनों हेतु सम्भावित धनराशि उपलब्ध कराने का निम्न प्रस्ताव आबकारी विभाग को उपलब्ध कराया गया था। इस प्रस्ताव का समिति ने संज्ञान लिया।

क्र0सं0	मद	इकाई	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों हेतु	अन्य 68 जनपदों हेतु	कुल धनराशि
1	कुल निराश्रित/बेसहारा गोवंश	संख्या	700000	680000	
2.	भरण–पोषण पर संभावित व्यय (शासनादेश के प्रस्तर 3.7 के अनुसार)	संख्या			
2क	31 मार्च, 2019 तक (लगभग 79 दिनों हेतु)	करोड़ रू0	116.13	112.812	228.942
2ख	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 तक	करोड़ रू0	536.55	521.22	1057.77
2ग	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021 तक	करोड़ रू0	536.55	521.22	1057.77
2घ	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 तक	करोड़ रू0	536.55	521.22	1057.77

(शासनादेश दिनांक 02.01.2019 के प्रस्तर–7.8 के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा यह मानक परिवर्तित किये जा सकते है)।

9.2 प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 02.01.2019 के प्रस्तर–6.2 तथा 7.8 के क्रम में उपरोक्त प्रस्तर–9.1 पर पुनर्विचार करते हुए सर्वसम्मति से यह सामूहिक निर्णय लिया कि आबकारी विभाग द्वारा वार्षिक राजस्व के अतिरिक्त आय, जो सेस/शुल्क लगाकर प्राप्त की जायेगी, इस मद में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 500 करोड़ की धनराशि ही मात्राकृत (earmark) की जाये। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के शेष दिनों 79 (दिनांक 10.01.2019 से 31.03.2019 तक) तथा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21–22 तक प्रत्येक वर्ष (365 दिनों हेतु) निम्नवत् धनराशि आबकारी विभाग से वित्त पोषित की जाये:–

क्र0सं0	मद	इकाई	अपेक्षित धनराशि

1	भरण–पोषण पर संभावित व्यय (शासनादेश दिनांक 02.01.2019 के प्रस्तर 3.7 के अनुसार)		
1क	31 मार्च, 2019 तक (लगभग 79 दिनों हेतु)	करोड़ रू0	104
1ख	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 तक	करोड़ रू0	500
1ग	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021 तक	करोड़ रू0	500
1घ	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 तक	करोड़ रू0	500

(शासनादेश दिनांक 02.01.2019 के प्रस्तर–7.8 के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा यह मानक परिवर्तित किये जा सकते है)।

(कार्यवाही–आबकारी विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या–251/सैंतीस–2–2019–5(53)/18
लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारीगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/1/19

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.01.2019 में उपस्थित अधिकारीगण–

क0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर	मो0 नम्बर
1	डा0 प्रभात कुमार	[illegible]	9818530048
2	कान्ति मोहन प्रसाद, प्र.स. दुग्ध	[illegible]	
3	जी. एस. प्रियदर्शी सचिव राजस्व	[illegible]	8299010260
4	Sandeep Kaur / वि.सचिव उद्यान	[illegible]	945665951
5	महेन्द्र कुमार, सचिव, पंचायती राज	[illegible]	9454413265.
6	अरविन्द कुमार (उप.स.) निदेशक जि. पंचायत	[illegible]	9415103020
7	सत्येन्द्र कुमार सिंह सचिव, पशुधन	[illegible]	8765604594
8	अरविन्द कुमार सिंह (वि0 सचिव पशुधन)	[illegible]	9415240549
9	~~डा0 चरण सिंह यादव निदेशक, पशुपालन विभाग,~~	[illegible]	9450370727
10	डा. एम. के. त्रिवेदी अपर निदेशक गोवंश	[illegible]	9910657021
11	आर. पी. आ., मुख्य वन संरक्षक (मु.)	[illegible]	7839435035
12	विजय बहादुर वर्मा संयुक्त सचिव नगर विकास	[illegible]	9454413164
13	अजय प्रकाश, उपायुक्त स्वच्छ भारत मिशन	[illegible]	9415108652
14	राधे कृष्ण, S.E. ID Circle Lucknow	[illegible]	9415467662
15	गोपाल सिंह C.E. W.R.		9429456365
16	Anita Verma Singh Sp. Sec.	Irrigation	9415270175
17	Kamala Shanker, UPRNN	[illegible]	9450816175
18	Vishwa Deepak CE, Bldg. PWD	[illegible]	9415083459
19	Mohan Babu Gupta Special Secretary PWD	[illegible]	9415468116
20	Ramakant Pandey Dir. Mandi	[illegible]	8765957000
21	श्री भीम लाल वर्मा उपायुक्त रोज.-ग्रा.वि.	[illegible]	9456824461
22	कल्पना अवस्थी	[illegible]	9717663888
23	मनोज दत्त त्रिपाठी स. स. वि.	[illegible]	9454413821
24.	डा0 वी0 के0 श्रीवास्तव, उ0प्र0 पशु सेवा मार्केटिंग	[illegible]	9450020090.
25.	डा0 आर0 पी0 सिंह, निदेशक उद्यान	[illegible]	9415258637
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	डा0 कुमार [illegible]	[illegible]	7705048501